राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :– 09/2024

रेखा सैनी –अपीलार्थी

बनाम

1. प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, राजस्थान, जयपुर।
3. संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, जयपुर जोन, जयपुर।
4. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जयपुर प्रथम।

–प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतीकरण की दिनांक : 02.01.2024
आदेश की दिनांक : 09.01.2024

उपस्थित –
अपीलार्थी की ओर से : श्री अजीत सैनी, अभिभाषक

समक्ष :– चेतन राम देवड़ा, सदस्य
लेखराज तोसावडा, सदस्य

आदेश

मामले की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपीलीय अधिकरण) अधिनियम–1976 की धारा–4ए के उपबन्ध में शिथिलता प्रदान करने की प्रार्थना स्वीकार कर अपील पर सुनवाई की गई।

प्रस्तुत अपील के अनुसार अपीलार्थी वर्तमान में महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता के पद पर प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र ढेहर के बालाजी, सीकर रोड़, जयपुर प्रथम में कार्यरत है। प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 15.09.2021 (अनुलग्नक–1) द्वारा अपीलार्थी का स्थानान्तरण प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, चीथवाड़ी, जयपुर से प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र ढेहर के बालाजी, सीकर रोड़, जयपुर प्रथम किया गया। उक्त आदेश की पालना में अपीलार्थी ने दिनांक 22.09.2021 (अनुलग्नक–2) द्वारा कार्यभार ग्रहण कर लिया। अपीलार्थी को आदेश दिनांक 28.02.2022 (अनुलग्नक–3) द्वारा जीएनएम कोर्स करने की अनुमति दी गई। अपीलार्थी को आदेश दिनांक 16.05.2022 (अनुलग्नक–4) द्वारा आरएसआर नियम 110–112 के तहत दिनांक 31.03.2022 से 30.03.2024 तक का दो वर्ष का अध्ययन अवकाश स्वीकृत किया गया। प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 03.08.2023 (अनुलग्नक–6) द्वारा अपीलार्थी को जनवरी 2023 से वेतन भुगतान की स्वीकृति जारी की गई परन्तु अपीलार्थी को जनवरी, 2023 से वेतन स्वीकृत होने के बावजूद भुगतान नहीं किया गया।

अतः उक्त आधारों पर अपील स्वीकार कर प्रत्यर्थी विभाग को निर्देश दिए जावें कि अपीलार्थी को माह जनवरी, 2023 से आज तक बकाया वेतन का भुगतान करवाया जावे।

हमनें अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता की बहस सुनी एवं पत्रावली पर उपलब्ध समस्त दस्तावेजों का ध्यानपूर्वक अवलोकन कर मनन किया।

प्रकरण के तथ्यों, अभिलेख एवं अभिवचनों से यह प्रकट होता है कि अपीलार्थी वर्तमान में महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता के पद पर प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र ढेहर के बालाजी, सीकर रोड़, जयपुर प्रथम में कार्यरत है। अपीलार्थी को आदेश दिनांक 28.02.2022 द्वारा जीएनएम कोर्स करने की अनुमति प्रदान की गई। अपीलार्थी को दिनांक 16.05.2022 द्वारा आरएसआर नियम 110–112 के तहत दिनांक 31.03.2022 से 30.03.2024 तक अध्ययन अवकाश स्वीकृत किया गया। प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 03.08.2023 द्वारा अपीलार्थी को जनवरी 2023 से वेतन आहरित करने की स्वीकृति जारी की गई, परन्तु प्रत्यर्थी विभाग द्वारा अपीलार्थी को जनवरी, 2023 से वेतन नहीं दिया जा रहा है। हमारे मत में प्रत्यर्थी विभाग द्वारा अपीलार्थी की सेवाएं जिस पदस्थापन स्थान से ली जा रही हैं। अपीलार्थी उक्त सेवाओं का वेतन प्राप्त करने का अधिकारी है, परंतु विभाग द्वारा अपीलार्थी को वेतन नहीं दिया जाना सेवा नियमों एवं विधि के विरूद्ध प्रकट होता है। अतः प्रत्यर्थी विभाग को यह निर्देश दिए जाते हैं कि प्रत्यर्थी विभाग नियमानुसार अपीलार्थी का बकाया वेतन आदेश दिनांक 03.08.2023 की अनुपालना में इस आदेश से एक माह की अवधि में आहरित किया जाकर भुगतान किया जावे। इस निर्देश के साथ अपील मय स्थगन प्रार्थना पत्र निस्तारित की जाती है।

(लेखराज तोसावडा)
सदस्य

(चेतन राम देवड़ा)
सदस्य